

अल्पसंख्यकों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति के दिशा-निर्देशों में ढील दी गई



अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति के संदर्भ में ऑफलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 21 अगस्त, 2015 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर, 2015 कर दी गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि योजना के दिशा-निर्देशों में ढील दी जाए। यह निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि मंत्रालय के पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर आवेदन करते समय छात्रों को तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ता था। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री डॉ. नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि तारीख बढ़ाने से नए आवेदनों के संबंध में सहायता होगी और इसका लाभ सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में मंत्रालय शीघ्र ही आवश्यक आदेश जारी करेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में देश के दूरदराज के छात्रों को कठिनाई होती थी जिसके विषय में मंत्रालय को कई क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं। उन शिकायतों पर गौर करने के बाद मंत्री महोदया ने एक सहयोगी रुख अपनाते हुए यह आदेश दिया कि पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 01 से 08 तक के छात्रों को ऑफलाइन आवेदन करने की अनुमति दी जाए।

इस महीने की शुरुआत में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के वृहद् हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी है। मंत्रालय ने 2014-15 के अस्वीकृत फार्मों को दुरुस्त करने का एक अवसर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को दिया है जिसके तहत वे अपने बैंक विवरण को सही कर सकते हैं। यह सुविधा 30 सितंबर, 2015 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर उपलब्ध रहेगी।